

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2006

(आयकर)

का.आ. 1615(अ).— आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 120 की उपधारा(1) और (2) द्वारा पात्र शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा:

(क) निदेश देता है कि इसके साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम(2) में विनिर्दिष्ट आयकर आयुक्त, जिनका मुख्यालय उक्त अनुसूची के कॉलम(3)की तदनुसूची प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट स्थान पर है, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43)के अंतर्गत उन्हें प्रदान की गई शक्तियों, जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय xvii ख और xviiखख की शक्तियां शामिल हैं, का प्रयोग करेंगे और उक्त अनुसूची के कॉलम(4) की तदनुसूची प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट ऐसे मामलों अथवा मामलों की श्रेणियों अथवा ऐसे व्यक्तियों अथवा ऐसे व्यक्ति समूहों के संबंध में तथा उनकी सभी आयों अथवा आय की श्रेणियों के संबंध में कार्यों का निर्वाह करेंगे;

(ख) इस अधिसूचना में उल्लिखित आयकर आयुक्त को उक्त अनुसूची के कॉलम(4)की तदनुसूची प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट ऐसे व्यक्तियों अथवा व्यक्ति समूहों अथवा ऐसी आय अथवा आय की श्रेणियों अथवा ऐसे मामलों या मामलों की श्रेणियों के संबंध में संयुक्त आयकर आयुक्तों जो उनके अधीनस्थ हैं, द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय xvii ख xviiखख में दी गई शक्तियों सहित शक्तियों का प्रयोग करने और कार्यों का निर्वाह करने के लिए लिखित में आदेश निकालने हेतु प्राधिकृत करता है ;

(ग) इस अधिसूचना के खंड(ख)में उल्लिखित संयुक्त आयकर आयुक्तों को भी उक्त अनुसूची के कॉलम(4) की तदनुसूची प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों की श्रेणियों अथवा आय अथवा आय की श्रेणियों, अथवा मामलों अथवा मामलों की श्रेणियों, जिनके संबंध में ये संयुक्त आयकर आयुक्त इस अधिसूचना के खण्ड (ख) के अंतर्गत आयकर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत हैं, के संबंध में कर निर्धारण अधिकारियों जो उनके अधीनस्थ हैं, द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय xvii ख और xviiखख में दी गई शक्तियों सहित शक्तियों का प्रयोग करने और कार्यों का निर्वाह करने के लिए लिखित में आदेश निकालने के लिए प्राधिकृत करता है ।

303861/06-2

अनुसूची

क्रम सं.	आयकर प्राधिकारियों के नाम	मुख्यालय	क्षेत्राधिकार
1.	आयकर आयुक्त(एलटीयू) बंगलौर	बंगलौर	आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 127 के अंतर्गत सौंपे गए सभी मामले और जो फिलहाल मुख्य आयकर आयुक्त-I, बंगलौर (राजस्व जिला टुमकुर से भिन्न) और मुख्य आयकर आयुक्त-II, बंगलौर (राजस्व जिला कोल्लार से भिन्न) के क्षेत्राधिकार में हैं जिनमें दड़ी करदाता यूनिट योजना का विकल्प चुनने का सहमति प्रपत्र दिया गया है और जिनमें वित्त वर्ष 2004-05 अथवा किसी परवर्ती वित्त वर्ष में निम्नलिखित भुगतान किए गए हैं : (क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 के अंतर्गत नकद/चालू खाते में पांच करोड़ रुपए या इससे अधिक का उत्पाद शुल्क; अथवा (ख) सेवाकर नियमावली, 1994 के साथ पठित वित्त अधिनियम, 1994 के अंतर्गत नकद/चालू खाते में पांच करोड़ रुपए या इससे अधिक का सेवा कर ; अथवा (ग) आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत दस करोड़ रुपए या इससे अधिक का अग्रिम कर ।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी ।